

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- विवेक कटारिया
मिसल नम्बर :- 27/2022

सरकार

बनाम

गोकुलराम पुत्र श्री डालूराम जाति मेघवाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज0।

.....गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 14-07-2022

:- निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल उपस्थित। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का मानोता जाटान के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम मानोता जाटान स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 4.49 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जौहड़ के रकबा 0.01 है0 पर गैर सायल गोकुल राम पुत्र श्री डालूराम जाति मेघवाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज0 ने राजकीय भूमि पर छान छप्पर बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मानोता जाटान के गैर सायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमि के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस की ताईद में गैर सायल की ओर से जबाब नोटिस मे गैर सायल का कब्जा काफी समय से होना बताया है। इसके अतिरिक्त सायल की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नही किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सपष्ट है कि गैर सायल गोकुल राम पुत्र श्री डालूराम जाति मेघवाल निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज0 ने राजस्व ग्राम मानोता जाटान स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 4.49 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जौहड़ के रकबा 0.01 है0 पर छान छप्पर लगाकर अनाधिकृत रूप से अपने अभियोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमिया राजकीय प्रयोजनो के लिए सुरक्षित रखी गयी है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार पटवारी मानोता जाटान की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—: आदेश :-

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का मानोता जाटान के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम मानोता जाटान स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 4.49 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जौहड़ के रकबा 0.01 है० भूमि पर से बेदखल किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 2 रूपये का 50 गुणा = 100/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का मानोता जाटान से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल को राजस्व ग्राम मानोता जाटान स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 257 रकबा 4.49 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन जौहड़ के रकबा 0.01 है० पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14-07-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक कटारिया)
तहसीलदार खेतड़ी